26-06-18

परिवादी स्वयं उप०। अभियुक्त रामकुमार अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील मय पंचनामा प्राप्त हो चुका है कि अभियुक्त उसके संभावित पतो पर नहीं मिला है और कई बार तलाश करने पर उपस्थिति नहीं हो पाई है।

अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा साक्षी लक्ष्मण परमार उप0, उनका फरारी के संबंध में कथन अंकित किया गया। परिवादी अधिवक्ता ने अभियुक्त को फरार घोषित करने का निवेदन किया।

प्रकरण 3 वर्ष पुराना एवं धारा 138 एन0आई० एक्ट संबंधी है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द0प्र0सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त रामकुमार पुत्र रामवरन शर्मा निवासी ग्राम खेरिया थापक हाल होन्डा एजेन्सी के सामने मेहगांव भिण्ड रोड मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0 को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये। वारंट को थाना प्रभारी के ज्ञापन सहित भेजा जावे कि वारंट की रोजनामचा में प्रविष्टि कराकर रोजनामचा की नकल अविलंब न्यायालय को प्रेषित करें।

अभियुक्त की अनुपरिथित में परिवादी अधिवक्ता द्वारा किसी साक्षी का कथन न कराना व्यक्त किया।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)